

20-11-19 पम्पली क्षेत्र हुई वकील प्रफुल्लकृष्ण
वकील वादी ने इस वाद व वाद
सं. 15/15/15 की प्रकृति स्थान होने
से वाद सं. 4/15 के साथ सलखन
किये जाने का निवेदन किया
वकील प्रतिवादी ने इस कीमत किये
जाने पर सहमति दी गई अतः इस
वाद सं. 15/15/15 को वाद सं. 4/15
के साथ सलखन किये जाने के अर्थ
किये जाते हैं पम्पली वाद सं. 4/15
के साथ सलखन किया जावे